



2026:AHC:29800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2748/ 2026

सिंगारमती

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : प्रवीण कुमार मिश्रा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 29.05.2018 को एक एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर, याची द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के साथ एक समय-बाधित वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे विलंब के आधार पर आदेश दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।
2. उपरोक्त से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई कि याची को प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार न्यायिक, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.05.2018 को वापस लेने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।
4. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका याची को प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार न्यायिक, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। यदि ऐसा आवेदन आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, तथा उनके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से सकारात्मक रूप से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"